न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **14/24 (वाद)**

GCMS No. : 2024/33

उनवान

1. श्री उदयसिंह पिता स्वर्गीय श्री रूपसिंह, जाति राजपूत, आयु 65 वर्ष, निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता श्री शेरसिंह जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री भंवरसिंह पिता श्री मानसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री भीमसिंह पिता श्री मानसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती सूरजकुंवर पत्नी श्री मानसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती नन्दाकुंवर पुत्री श्री मानसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कुरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री सज्जनसिंह पिता स्वर्गीय श्री रूपसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (घासा) जिला–उदयपुर (राज०)
8. पटवारी, पटवार क्षेत्र–जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
9. उप पंजीयन अधिकारी घासा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता वादी।

2. श्री दिनेश पालीवाल, अधिवक्ता प्रतिवादीगण ।

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

निर्णय

दिनांक : 26.05.2026

1. वादी द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा जावड़, पटवार हल्का जावड़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र–थामला, तहसील घासा, जिला–उदयपुर के आराजी नम्बर 3970, 3979, 4105, 4135 किता 4 कुल रकबा 2.7436 हैक्टेयर भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से दर्ज है। वादी द्वारा अपने पारिवारिक सजरे अनुसार मूल पुरुष तखतसिंह को बताया। जिनके दो जायन्दा पुत्र

रूपसिंह एवं शेरसिंह हुए। दोनो का देहावसान हो चुका है। रूपसिंह के विधिक वारिसान में मैं वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 जायन्दा पुत्र होकर विधिक वारिस उत्तराधिकारीगण है। इसी तरह शेरसिंह के विधिक वारिसान में लक्ष्मणसिंह व मानसिंह जायन्दा पुत्र है। जिनमें लक्ष्मणसिंह प्रतिवादी संख्या 01 एवं मानसिंह जिसका देहावसान हो चुका है। मानसिंह के विधिक वारिसान में पुत्र–पुत्री एवं पत्नी प्रतिवादी संख्या 02 से लगायत 05 है।

2. निवेदन किया की वाद वर्णित कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 से 06 की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि (सम्पत्ति) है, उक्त कृषि भूमिं मौरूसी पैतृक कृषि भूमि मूल पुरूष तखतसिंह राजपूत के जायन्दा पुत्र अर्थात विधिक वारिसान रूपसिंह, शेरसिंह के समान हक हिस्से अनुसार तत्कालिन समय से संयुक्त स्वामित्व एवं हक हिस्से अनुसार कब्जे उपभोग में वर्तमान समय तक चली आ रही है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 का अपने मूल पुरूष स्वर्गीय दादा रूपसिंह पिता श्री तखतसिंह के 1/2 हक हिस्से की भूमि में हिस्से अनुसार स्वामित्व व कब्जे उपभोग में है तथा स्वर्गीय श्री शेरसिंह पिता श्री तखतसिंह के 1/2 हक हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 01 से लगायत 05 तक के निहित हक हिस्से अनुसार स्वामित्व व कब्जे उपभोग में है। उक्त कृषि भूमि मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि होकर उक्त मौरूसी पैतृक कृषि भूमि में मुझ वादी का 1/4 हक हिस्सा, एवं प्रतिवादी संख्या 06 का 1/4 हक हिस्सा हो मै वादी उक्त मौरूसी पैत्रक कृषि भूमि का हिस्से अनुसार मालिक स्वामी हूँ तथा मुझ वादी के हक हिस्से की कृषि भूमि पर निरन्तर निर्विवाद स्वामित्व अधिकार आधिपत्य चला आ रहा है। तत्कालीन समय के राजस्व रेकॉर्ड अनुसार उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 के पिता स्वर्गीय रूपसिंह पिता तखतसिंह के नाम 1/2 हिस्से से एवं शेरसिंह पिता तखतसिंह के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज होनी चाहिए थी किन्तु तत्कालीन समय में उक्त सम्पूर्ण भूमि मुझ वादी के मूल पुरुष के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज नहीं कर एवं रेकॉर्ड में गलत इन्द्राज व कांट–फांस कर राजस्व कर्मचारियों द्वारा उक्त सम्पूर्ण कृषि भूमि प्रतिवादीगण के मूल पुरुष स्वर्गीय श्री शेरसिंह पिता तखतसिंह के नाम दर्ज कर दी। जो गलत दर्ज कर दी । जिससे मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 को स्वर्गीय श्री रूपसिंह के विधिक वारिसान उत्तराधीकारीगण होने से रूपसिंह के हक हिस्से की कृषि भूमि

मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 को प्राप्त नहीं हुई, एवं उक्त कृषि भूमि तत्कालीन में ही मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 के मूल पुरुष स्वर्गीय श्री रूपसिंह पिता तखतसिंह के नाम 1/2 हक हिस्से से दर्ज होने से रह गई और उक्त कृषि भूमि तत्कालीन समय से वर्तमान तक प्रतिवादीगण के नाम हिस्से अनुसार खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, जबकि उक्त कृषि भूमि मुझ वादी एवं प्रतिवादी संख्या 06 की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि होकर उक्त कृषि भूमि में मुझ वादी व प्रतिवादी संख्या 06 का हित निहित हो हिस्सा है, उक्त कृषि भूमि में मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग की भूमि में प्रतिवादीगण का कभी कोई हक स्वत्व अधिकार आधिपत्य नहीं रहा है, केवलमात्र उक्त कृषि भूमि नुमाईशी तौर पर प्रतिवादीगण के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खातेदारी में दर्ज हो गई है। मैं वादी उक्त कृषि भूमि में अपने मूल पुरुष स्वर्गीय श्री रूपसिंह पिता तखतसिंह के हक हिस्से की कृषि भूमि में अपने हक हिस्से की घोषणा कराने एवं राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में अपने नाम का अंकन कराने के अधिकारी हूँ।

3. अंत में निवेदन किया की वाद वर्णित कृषि भूमि वाद वर्णित कृषि भूमि में मुझ वादी के 1/4 हक हिस्से की घोषणा करायी जाकर मुझ वादी के हक हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी हक से घोषित कर दर्ज करायी जावे। वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की स्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि उक्त वर्णित कृषि भूमि जो मुझ वादी की मौरूसी पैतृक कृषि भूमि है, प्रतिवादीगण मुझ वादी के हिस्से व कब्जे उपभोग की कृषि भूमि से मुझ वादी को ताकत के बल पर बेदखल नहीं करे, मुझ वादी को अपनी उक्त हक हिस्सा कृषि भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, मुझ वादी के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में किसी तरह की बाधा या व्यवधान उत्पन्न नहीं करें। उक्त कृषि भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में प्रतिवादीगण के नाम गलत अंकन होने का नाजायज फायदा उठा कर प्रतिवादीगण अपने नाम अंकित हिस्सा कृषि भूमि किसी विकय, रहन, बैह, बक्षीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करे, प्रतिवादीगण रेकर्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाए रखे।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 वादी के वाद को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी या प्रतिवादी संख्या 6 का प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की उक्त वर्णित कृषि आराजीयात से कोई लेना–देना नही है, न ही कोई हक

अधिकार है बल्कि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 उक्त कृषि आराजीयात पर अपने–अपने हक हिस्से अनुसार नियमित रूप से काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उक्त वर्णित कृषि आराजीयात में से आराजी नम्बर 3970 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस शेरसिंह जी द्वारा तत्कालीन देलवाड़ा ठिकाना से प्राप्त की गई थी। जिसके बाद उक्त आराजी शेरसिंह जी के नाम पर स्वतन्त्र रूप से रेकार्ड में दर्ज हुई। जिस पर शेरसिंह जी अपने पूरे जीवनकाल तक काबिज होकर उपयोग उपभोग करते रहे एवं शेरसिंहजी के मरणोपरान्त उक्त आराजी उनके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 को विरासत से प्राप्त हुई और हिस्सेनुसार हमारे नाम पर खातेदारी हक से दर्ज होकर हमारे कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में निर्बाध रूप से चली आ रही है जिससे वादी व प्रतिवादी संख्या 6 या इनके मौरूस का कोई सरोकार नही रहा हैं। आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 सहित अन्य कृषि आराजीयात हमारे मूल पुरूष तखतसिंह के नाम दर्ज थी और तखतसिंह जी ने अपने जीवनकाल में ही अपनी तमाम कृषि भूमि का अपने पुत्रों के बीच आपसी पांती बंटवाड़ा कर दिया जिस पांती बंटवाड़े में आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 हमारे मौरूस शेरसिंह जी के हिस्से कब्जे में आयी और उस वक्त से हमारे मौरूस शेरसिंह जी अपने हिस्से पांती की उक्त आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करने लग गये। वर्ष 1988 में मोतीसिंह पिता फतेहसिंह राजपूत द्वारा अपनी सहखातेदारी की कृषि भूमि का विभाजन कराने हेतु न्यायालय उप जिलाधीश महोदय, वल्लभनगर में एक वाद अन्तर्गत धारा 88–53 राज०टि०एक्ट के तहत हमारे मौरूस शेरसिंहजी, वादी व प्रतिवादी संख्या 6 के पिता रूपसिंहजी एवं अन्य सहखातेदारों के विरूद्ध प्रस्तुत किया जिसके प्रकरण संख्या 61 सन् 1988 (वाद) हैं। चूँकि मौके पर सभी सहखातेदारों के मध्य वर्षो से आपसी पांती बंटवाड़ा किया था इसलिये उस वाद में वर्णित कृषि भूमि के सभी सहखातेदारों (वादी व प्रतिवादीगण) द्वारा संयुक्त रूप से न्यायालय में आपसी समझौता प्रस्तुत किया और आपसी समझौता में वर्णितानुसार कृषि आराजीयात का विभाजन करने का निवेदन किया तत्पश्चात् माननीय न्यायालय द्वारा सभी पक्षकारों की मौजूदगी में आपसी समझौता तस्दीक किया गया और आपसी समझौता के मुताबिक बंटवाड़ा किया जाने के आदेश दिये गये। आपसी समझौता अनुसार बंटवाड़े कराये जाने में वादी व प्रतिवादी संख्या 6 के पिता

रूपसिंह भी सहमत थे और सहमति स्वरूप रूपसिंहजी ने आपसी समझौता के प्रार्थना पत्र अपनी अंगुष्ठ निशानी की थी। आपसी समझौता अनुसार माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 17.01.1990 को बंटवाड़ा की डिक्री जारी कर बंटवाड़ा डिक्री अनुसार राजस्व रेकर्ड में अंकित किये जाने के आदेश दिये गये तत्पश्चात् न्यायालय डिक्री अनुसार नामान्तरकरण संख्या 604 के जरिए आराजी नम्बर 4105, 3979, 4135 कुल किता 3 रकबा 8 बीघा 11 बिस्वा सहित हमारे मौरूस शेरसिंह पिता तख्तसिंह राजपुत के नाम पर स्वतन्त्र रूप से दर्ज हुई तथा वादी व प्रतिवादी संख्या 6 के पिता रूपसिंहजी के भी समझौता बंटवाड़े अनुसार भूमियां दर्ज हुई जिसका वर्णन न्यायालय द्वारा जारी बंटवाड़ा डिक्री में हैं। बंटवाड़ा होने के पश्चात् बंटवाड़े में आयी आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 एवं स्वअर्जित आराजी नम्बर 3970 को नये बनने वाले रेवेन्यु रेकर्ड में एक ही खाते में शामिल कर दी गई। जिससे वर्तमान में इन चारो आराजीयात का एक ही खाता हैं। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद गलत एवं सारहीन तथ्यों पर आधारित होने से सव्यय खारिज फरमाया जावें।

5. प्रकरण में तनकीयात कायम करने के पश्चात साक्ष्यवादी पर नियत किया गया। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 जा. दी. प्रस्तुत कर निवेदन किया की वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र में वर्णित आराजीयात का पूर्व में वादी एवं प्रतिवादीगण के मौरूस के मध्य एक वाद वास्ते बंटवाड़ा एवं घोषणा का पूर्व में माननीय न्यायालय उप जिलाधीश महोदयजी, वल्लभनगर में प्रस्तुत किया गया था जिसमें वादी एवं प्रतिवादी के मौरूस दोनो ही प्रतिवादीगण पक्षकार के रूप में संयोजित किये गये थे जो कि अनवान श्री मौतीसिंह बनाम श्री शेरसिंह वगैरा होकर मुकदमा संख्या 61/1985 वाद था। उक्त वाद संख्या 61/1985 में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा हो गया था और राजीनामा अनुसार वाद पत्र को दिनांक 17/01/1990 को डिक्री किया जा चुका है एवं वादी के पिता द्वारा पुर्व में निर्णित वाद में ऐसे किसी भी बिन्दु को लेकर कोई भी उजर नहीं उठाया है एवं न ही इस बाबत् कोई काउन्टर क्लेम पेश किया गया था। वर्तमान वाद में वादी जिस आराजीयात के संबंध में वाद लेकर आया है उन आराजीयात से सम्बन्धित वाद पूर्व में ही निर्णित हो चुका है। जिससे कि वादी पूर्व निर्णित वाद से बाध्य है एवं अब वो ऐसे किसी भी उजर को लेकर नया वाद नहीं कर सकता है जिसे कि वो पुर्व

में विचाराधीन वाद में उठा सकता था इसलिये धारा 11 जा.दी. के स्पष्टीकरण 4 ''ऐसे किसी भी विषय के बारे में जो ऐसे पुर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहीए था, वह समझा जाएगा कि वह ऐसे वाद में प्रत्यक्षः और सारतः विवाद्य रहा है।'' के अनुसार ऐसा कोई भी उजर जो कि पूर्व में निर्णित वाद में उठा सकता था परन्तु नहीं उठाया गया है तो बाद में प्रस्तुत वाद में रेसजुडिकेटा के सिद्वान्त के आधार पर वाद विधि द्वारा वर्जित है। वादी द्वारा या उसके मौरूस द्वारा पूर्व में जिन अधिकारों को लेकर उजर नहीं लिया गया है जो कि दावें में या काउन्टर क्लेम में लिया जा सकता है पश्चातवर्ती वाद उन आधारों पर प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है एवं वादी अपने पुर्व मौरूस के विरूद्ध या उनके द्वारा प्रस्तुत वाद या काउन्टर क्लेम से बाध्य है। जिससे कि वादी ने जो यह उक्त नया वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है जो कि विधि द्वारा वर्जित होने से खारीज योग्य है।

6. यह कि पूर्व निर्णित वाद में प्रतिवादी को यह अधिकार था कि वो ऐसे किसी भी अधिकार के लिये क्लेम प्रस्तुत कर सकता था जो वो प्राप्त करने का अधिकारी है परन्तु वाद के निर्णित होने तक पक्षकार द्वारा ऐसे किसी भी अधिकार के लिये क्लेम नहीं किया गया है तो पक्षकार के द्वारा अपने उन अधिकारों को अभित्यक्त कर दिया माना जावेगा और रेसजुडिकेटा से बाध्य होने से पश्चातवर्ती वाद में ऐसे किसी भी उजर को लेकर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। अंत में निवेदन किया की प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर रेसजुडिकेटा को आधार पर वादी का वाद सव्यय खारीज किये जाने का आदेश प्रदान कराने की कृपा करावे।
7. अधिवक्ता वादी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 एवं 151 जा.दी. का जवाब प्रस्तुत नही करने से जवाब बंद कर उक्त प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी अधिवक्ता उभय पक्षकारान की सुनी गई।
8. हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे की ग्राम जावड पटवार हल्का जावड तहसील घासा की नकल जमाबंदी संवत 2077–80 के खाता संख्या 356 के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर 3970, 3979, 4105, 4135 किता 4 कुल रकबा 2.7436 हैक्टेयर भूमि वर्तमान में

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम हिस्से अनुसार दर्ज रिकॉर्ड है। जिसे वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 द्वारा भी स्वीकार किया गया है।

न्यायालय उप जिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 61/85 अनवान मोतीसिंह बनाम शेरसिंह में पारित डिक्री एवं अन्य दस्तावेज की पत्रावली में फोटोप्रति संलग्न है। जिनका अवलोकन करने से जाहीर आया की वादग्रस्त आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 के साथ अन्य आराजीयात भी सहखातेदारी हक से वादी एवं प्रतिवादीगण के मौरूस रूपसिंह , शेरसिंह एवं अन्य सहखातेदार के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी। जिसके कारण सहखातेदार मोतीसिंह द्वारा विभाजन का वाद न्यायालय उप जिलाधीश वल्लभनगर में प्रस्तुत किया गया। जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मौरूस रूपसिंह एवं शेरसिंह द्वारा स्वीकारात्मक जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात न्यायालय उप जिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 61/85 में सभी सहखातेदारो द्वारा राजीनामा प्रस्तुत किया गया। राजीनामें पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 6 के मौरूस रूपसिंह की अंगुष्ठ निशानी है एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस शेरसिंह के हस्ताक्षर है। उक्त राजीनामें में सभी सहखातेदारो द्वारा वादग्रस्त भूमि के साथ अन्य सहखातेदारी भूमि का विभाजन दर्शाया गया था। राजीनामें में दर्शाये विभाजन अनुसार ही डिक्री करने हेतु न्यायालय से निवेदन किया गया था। न्यायालय उप जिलाधीश वल्लभनगर वादी एवं प्रतिवादीगण के मौरूस रूपसिंह, शेरसिंह एवं अन्य सहखातेदार द्वारा प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार करते हुए राजीनामें अनुसार डिक्री जारी की गई। उक्त राजीनामा एवं डिक्री वादग्रस्त आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस शेरसिंह के हिस्से रखी गई। प्रकरण में वादी का कथन है कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादग्रस्त भूमि के संबंध में रिकॉर्ड में कांट छांट कर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस के नाम दर्ज कर दी गई। न्यायालय इस कथन से संतुष्ट नही है क्यों कि उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस के नाम न्यायालय उप जिलाधीश वल्लभगनर के प्रकरण संख्या 61/85 में राजीनामें अनुसार पारित डिक्री से दर्ज हुई है।

यह कि ग्राम जावड की जमाबंदी संवत 2030 का अवलोकन करने से जाहीर आया की आराजी नम्बर 3970 रकबा 8 बीघा 8 बिस्वा भूमि सेटलमेंट से

ही प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस शेरसिंह पिता तखतसिंह के नाम दर्ज चली आ रही है। अर्थात उक्त भूमि तखतसिंह के नाम दर्ज रही हो ऐसा कोई दस्तावेज वादी द्वारा वाद पत्र में प्रस्तुत नही किया गया है। बल्कि प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी देलवाड़ा ठिकाना से उनके मौरूस शेरसिंह को प्राप्त होना बताया है जिसके संबंध में एक दस्तावेज की फोटोप्रति भी प्रस्तुत की है जिसमें शेरसिंह का नाम अंकित है। इस प्रकार उक्त आराजी तखतसिंह की नही होकर शेरसिंह की होने से वादी का उक्त आराजीयात में कोई हक हिस्सा नही हो सकता है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 6 के मौरूस एवं अन्य सहखातेदार द्वारा राजीनामें से वादग्रस्त भूमि का विभाजन करवाया गया। जिसमें वादग्रस्त आराजी नम्बर 3979, 4105, 4135 प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस शेरसिंह को प्राप्त हुई। आराजी नम्बर 3970 स्वयं शेरसिंह को आवंटित होने से शेरसिंह की स्वअर्जित सम्पति है। रूपससिंह के दो पुत्र सज्जनसिंह एवं उदयसिंह है। उक्त वाद केवल मात्र उदयसिंह द्वारा प्रस्तुत किया गया है। रूपसिंह के दूसरे पुत्र सज्जनसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद में उक्त बंटवाड़ा राजीनामें से होना एवं आराजी नम्बर 3970 शेरसिंह की होना स्वीकार किया है। ऐसे में स्पष्ट है कि वादी द्वारा केवल मात्र प्रतिवादीगण को परेशान करने की नियत से यह वाद प्रस्तुत किया गया है। यदि उक्त भूमि रूपसिंह की होती तो उसका दूसरा पुत्र सज्जनसिंह भी अवश्य वादग्रस्त भूमि में हिस्सा क्लेम करता। परन्तु सज्जनसिंह द्वारा ऐसा नही कर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस शेरसिंह की ही वादग्रस्त भूमि होना स्वीकार किया है।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में न्यायालय उप जिलाधीश वल्लभगनगर में प्रकरण दर्ज होकर राजीनामें के आधार पर डिक्री किया जा चुका है। उसी वादग्रस्त भूमि के संबंध में पुनः वाद प्रस्तुत नही किया जा सकता है। क्योंकि वादग्रस्त भूमि में वादी अपने पिता का हक हिस्सा बताते हुए वाद प्रस्तुत किया है। जबकि पूर्व के वाद में यह तय हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि में किसका हिस्सा हैं। ऐसे में वादी अपने पिता द्वारा प्रस्तुत राजीनामें से बाध्य है। फिर भी वादी यदि पूर्व के वाद में जारी राजीनामें की डिक्री से असंतुष्ट है तो उसकी अपील करनी चाहिए थी। ऐसे में वादी का

वाद सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय के तहत बाधित होने से चलने योग्य नही है।

वादी के पिता रूपसिंह द्वारा न्यायालय उप जिलाधीश वल्लभनगर के प्रकरण संख्या 61/85 में प्रस्तुत राजीनामें में वादग्रस्त भूमि शेरिसिंह की होना स्वीकार कर लिया गया तथा राजीनामे अनुसार डिक्री की जाकर उक्त आराजीयात शेरसिंह के नाम दर्ज होना स्पष्ट है। ऐसे में उक्त वाद को प्रस्तुत करना वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित है। विलेख द्वारा विबंधन के सिद्वान्त में स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा निष्पादित विलेख में वर्णित किसी तथ्य की सत्यता से इनकार करने से रोकता है।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो चुका है कि वादग्रस्त भूमि के संबंध में पूर्व में प्रस्तुत वाद में राजीनामें के आधार पर डिक्री पारित की गई थी। जिसके आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस के नाम वादग्रस्त तीन आराजीयात दर्ज हुई। एक वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के मौरूस की स्वअर्जित आराजीयात थी। प्रकरण में पूर्व में न्याय होकर अधिकार तय हो जाने से प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा वादी का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) एवं वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली

बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री उदयसिंह पिता स्वर्गीय श्री रूपसिंह, जाति राजपूत, आयु 65 वर्ष, निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

.....वादी

बनाम

1. श्री लक्ष्मणसिंह पिता श्री शेरसिंह जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
2. श्री भंवरसिंह पिता श्री मानसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
3. श्री भीमसिंह पिता श्री मानसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
4. श्रीमती सूरजकुंवर पत्नी श्री मानसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कुंरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
5. श्रीमती नन्दाकुंवर पुत्री श्री मानसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी कुरड़ी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
6. श्री सज्जनसिंह पिता स्वर्गीय श्री रूपसिंह, जाति राजपूत, आयु वयस्क, निवासी जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार (घासा) जिला–उदयपुर (राज०)
8. पटवारी, पटवार क्षेत्र–जावड़, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)
9. उप पंजीयन अधिकारी घासा, तहसील घासा, जिला–उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता

मुकदमा न0 : 14/24 (वाद) GCMS No. – 2024/33

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 11 व 151 सिविल प्रक्रिया संहिता का स्वीकार किया जाकर वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 पूर्व न्याय (रेसज्यूडिकेटा) एवं वाद विबंधन के कानूनी सिद्धान्त विलेख द्वारा विबंधन के सिद्धान्त के तहत विधि द्वारा बाधित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 26.05.2026 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली